

पत्र सं०-2/थाना-10-14/2013 ग०आ०
बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अप्रील, 2314

वित्त विभाग

विषय:- राज्य के नक्सल प्रभावित एवं सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में 85 (पचासी) नये पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सुरक्षाविहीन क्षेत्रों में पुलिस थानों के निर्माण हेतु पत्रांक-11-18015/19/2013-NM/ANO-11 दिनांक 15.04.2013 द्वारा पागे गये प्रस्ताव के आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा 85 थानों के सृजन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। राज्य में सुरक्षातंत्र के सुदृढीकरण में इन थानों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। राज्य के कई क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों एवं यातायात के संसाधनों के समुचित विकास नहीं होने के कारण पुलिस तंत्र की पहुँच सीमित है। इसका दायर उठाकर नक्सलवादी संगठनों ने उन स्थानों पर अपना गढ़ बना लिया है। निम्न वर्षों में पुलिस तंत्र के विस्तार एवं संसाधन सम्पन्न होने के कारण ऐसे अनेक क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित किया गया है किन्तु इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करना आवश्यक है।

2. सतत के आलोक में राज्य में एस०आर०ई० योजना से आन्वयित निम्नलिखित 20 जिलों में 85 (पचासी) नये पुलिस थानों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र०	जिला	प्रस्तावित थाना का नाम	पैतृक थाना का नाम	पैतृक थाना से दूरी	वर्तमान स्थिति
1.	पटना	इमामगंज	पालीगंज	25	नहीं
2.		पिगरपुर	पालीगंज	30	ओ०पी०
3.		नेररा	बिहटा	12	ओ०पी०
4.	गया	टनकुणा	वजीरगंज	30	ओ०पी०
5.		चाकन्द	चन्दौती	11	ओ०पी०
6.		लुटुआ	इमामगंज	19	सी०ए०पी०एफ० कैम्प
7.		छकरबन्धा	डुमरिया	20	सी०ए०पी०एफ० कैम्प
8.		सोहैल	कोठी	05	ओ०पी०
9.		भैगरा	इमामगंज	12	सी०ए०पी०एफ० कैम्प
10.		भदवर	डुमरिया	22	नहीं
11.		धनगाड़ी	बाराचट्टी	15	नहीं

5/4/14

114

1- move
19/2
23/5/14
27/1/12
3/5/14

12.	ओरंगाबाद	कचनपुर	देव	08	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
13.		देवरिया	गदनपुर	08	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
14.		आजन	गदनपुर	06	नहीं
15.	जहानाबाद	ओकरी	घोषी	12	ओ०पी०
16.		झुनाठी	पारस बिगहा	15	नहीं
17.	नवादा	थाली	गोविन्दपुर	10	नहीं
18.		परना धाबर	शिरदल्ला	06	नहीं
19.		नेमदारगंज	अकबरपुर	12	नहीं
20.	अरवल	बंशी	करपी	05	ओ०पी०
21.	रोहतास	यदुनाथपुर	चुटिया	22	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
22.	कैमूर	अथान	अघौरा	20	नहीं
23.		सारोदाग	अघौरा	18	नहीं
24.		करार	भगवानपुर	20	नहीं
25.		चौधरना	भगवानपुर	25	नहीं
26.		लोहरा	अघौरा	08	ओ०पी०
27.	भोजपुर	हसनबाजार	पीरो	10	ओ०पी०
28.	मुंगेर	गंगटा	खडगपुर	12	ओ०पी०
29.		लदैगाटाड़	धरहरा	08	ओ०पी०
30.		हरीनमार	बरियारपुर	25	ओ०पी०
31.	जमुई	चेहिरा	चकाई	12	नहीं
32.		दुआर पहारी	झाझा	15	नहीं
33.		विचकोरवा	चकाई	14	नहीं
34.		दिग्धी	लक्ष्मीपुर	10	नहीं
35.		लछुआर	सिकन्दरा	08	ओ०पी०
36.		बटिया	सोनो	14	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
37.		गरुधी	खैरा	22	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
38.		मोहनपुर	लक्ष्मीपुर	12	नहीं
39.		वागदह	चन्द्रमंडी	08	ओ०पी०
40.	लखीसराय	बन्नु बगीचा	चानन	07	सी०ए०पी०एफ० कॅम्प
41.		तेतरडाट	हलसी	15	नहीं
42.		किउल	लखीसराय	05	नहीं
43.		सिंहचक	चानन	13	नहीं
44.		बसोनी	पीरी बाजार	09	नहीं
45.	वांका	पंजवारा	बांका	20	ओ०पी०
46.		बन्धुवा कुदावली	बंशी	12	ओ०पी०
47.		जयपुर	कटोरिया	35	ओ०पी०
48.		सुईया	कटोरिया	17	ओ०पी०
49.		खैरा	बेलहर	17	ओ०पी०
50.		धनकुण्ड	देरिया	13	ओ०पी०
51.		जिलेबियामोड़	कटोरिया	17	नहीं
52.		जमदाहा	कटोरिया	30	नहीं
53.	खगडिया	गंगौर	खगडिया	15	ओ०पी०
54.		वहादुरपुर	अलौली	18	ओ०पी०
55.		पिपरपानी	अलौली	15	ओ०पी०
56.		अमौरी	अलौली	10	ओ०पी०
57.		मदेया	परवत्ता	10	ओ०पी०

58.	गुजगाफरपुर	राजेपुर	साहेबगंज	12	नहीं	
59.		जजोर	कटरा	15	नहीं	
60.		रागपुर हरी	मीनापुर	15	ओ०पी०	
61.		पानापुर	मीनापुर	32	ओ०पी०	
62.		चक्की सुहागपुर	पारु	25	नहीं	
63.		झपहा	अहियापुर	09	सी०ए०पी०एफ० कैम्प	
64.		गरहा	अहियापुर	08	सी०ए०पी०एफ० कैम्प	
65.		कच्छी फक्की	सदर	06	नहीं	
66.		गन्नीपुर	काजी गोहम्मदपुर	05	नहीं	
67.		वेला	मिठनपुरा	05	ओ०पी०	
68.		मेडिकल कॉलेज	अहियापुर	09	नहीं	
69.		वैशाली	काजीपुर	सदर	09	नहीं
70.			महीसौर	जन्दाहा	09	नहीं
71.			हरिलो वनपुर	पातेपुर	10	नहीं
72.			पानापुर लंगा	सदर	10	नहीं
73.		शिवहर	तरियानी छपरा	तरियानी	10	नहीं
74.			दिराममा	तरियानी	10	नहीं
75.			फतेहपुर	शिवहर	06	नहीं
76.	सीतामढ़ी	गहिन्दवासा	रुन्नीसैदपुर	25	ओ०पी०	
77.		सुप्पी	मेजरगंज	12	ओ०पी०	
78.		बोखरा	नानपुर	08	नहीं	
79.		चौरैत	पुपरी	15	ओ०पी०	
80.		पुनौरा	सीतामढ़ी	05	ओ०पी०	
81.		माढ़ा	रुन्नी सैदपुर	13	नहीं	
82.		भुतही	सोनवर्षा	09	नहीं	
83.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	गरहेगाबाजार	मधुबन	09	नहीं	
84.		नारायणपुर चौक	राजेपुर	10	नहीं	
85.	वेगूराशाय	नोनपुर	तेघड़ा	15	नहीं	

प्रस्तावित 85 थाना में से प्रत्येक थाना के लिए स्वीकृत बल 04 पुलिस अवर निरीक्षक, 04 सहायक अवर निरीक्षक, 06 हवलदार एवं 24 सिपाही का होगा अर्थात् विभिन्न श्रेणी के कुल-3230 (तीन हजार दो सौ तीस) पदों की आवश्यकता होगी। विभागीय संकल्प सं०-1811, दिनांक 06.03.2013 के द्वारा कुल-43,761 पुलिसकर्मियों के पद सृजित किये गये हैं। इनमें से 38,182 पद अलग-अलग कोटियों में जिला पुलिस बल में सृजित हैं। इन पदों के विरुद्ध नियुक्त किये गये कर्मियों द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित थानों का संचालन किया जायेगा। अतएव नये थानों के लिए किसी नये पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित थानों के सृजन में आवर्तक व्यय शून्य है।

नवसृजित थानों के व्यय का वहन बजट शीर्ष-2055-पुलिस-लघु शीर्ष-109- जिला पुलिस कार्यकारी दल एवं विपन्न कोड सं०-एन०-2055001090001 में विकलनीय होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला प्रोग्रामर से की जाएगी।

5. प्रस्तावित थानों का संचालन भवन पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ किया जायेगा। थानों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा तथा थाना भवन निर्माण हेतु राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक थाने के लिए अनुमानित राशि 02 करोड़ रुपये है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित थानों के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।
6. प्रस्तावित थानों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना अलग से निर्धारित की जायेगी।
7. प्रस्तावित थानों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/थाना-10-14/2013 गृ०आ०

/पटना दिनांक

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/थाना-10-14/2013 गृ०आ०

3231

/पटना दिनांक 11/5/14

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/गृह (आरक्षी) विभाग, प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



सरकार के उप सचिव